अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	1	

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 137 / 2023

05
19.01.2024

राज्य

बनाम

दिलावर अंसारी उर्फ दिलावर खान पिता अजहर अली निवासी बड़गाँई, थाना सदर, जिला राँची ..... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1530 / डी०सी०बी० दिनांक 23.11.2023 द्वारा सक्रिय जमीन दलाल दिलावर अंसारी उर्फ दिलावर खान पिता अजहर अली निवासी बड़गाँई, थाना सदर, जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत जिला बद्र / निर्वासन करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जो निम्नांकित है:–

1. सदर थाना कांड संख्या 272 / 17 दिनांक 03.06.2017 धारा 147 / 148 / 149 / 323 / 324 / 307 / 427 / 295 / 120(बी०) भा०द०वि०
2. सदर थाना कांड संख्या 221 / 20 दिनांक 04.06.2020 धारा 25 (1–बी०)ए० / 35 आर्म्स एक्ट
3. बरियातु थाना कांड संख्या 312 / 22 दिनांक 01.11.2022 धारा–341 / 186 / 189 / 332 / 333 / 353 / 34 भा०द०वि०
4. अनुसूचित जाति जन–जाति थाना कांड संख्या 21 / 18 दिनांक 29.09.2018, धारा–447 / 504 / 506 / 34 भा०द०वि० एंव धारा–3(1)(v) SC/ST (P.A), Act

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

5. अनुसूचित जाति जन–जाति थाना कांड संख्या 84/20 दिनांक 23.10.2020 धारा 467/468/470/471/504/506/34 भा० द० वि० एवं धारा–3(1)(g) SC/ST (P.A), Actसदर थाना

6. सनहा सदर थाना दैनिकी प्रविष्टि सं० 30/23 दिनांक 11.09.2023

7. सनहा सदर थाना दैनिकी प्रविष्टि सं० 22/23 दिनांक 15.09.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक, सदर, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–2082/23, दिनांक–08.11.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि दिलावर अंसारी उर्फ दिलावर खान पिता अजहर अली निवासी बड़गाँई, थाना सदर, जिला राँची एक दबंग भू–माफिया है। क्षेत्र में सक्रियता बढ़ने के साथ ही पेशेवर अपराधकर्मी से सांठ–गांठ से आदिवासियों का भूमि एवं मूल जमीन मालिको की भूमि को कब्जा करने एवं धमकाने में अपराधियों को इस्तेमाल करते है। ये बिक्री किया हुआ जमीन में जान बुझकर विवाद उत्पन्न करते है तथा विवाद खत्म करने का भयदोहन करते है। मारपीट कर माहौल को अस्थिर करने मे हमेशा आमदा रहते है जो समाज के लिए खतरनाक है। गवाहो को अपने विरूद्ध गवाही देने पर बुरा अंजाम देने की धमकी देते है। वर्तमान में अन्य कांडो में माननीय न्यायालय से जमानत में मुक्त है। इनकी अपराधिक गतिविधियो से आम जनता मे आतंक एवं दहशत है। जमीन दलाल दिलावर अंसारी उर्फ दिलावर खान अपराधिक घटनाओं मे शामिल होने के बावजूद भी संबंधित कांडो के पीड़ित, गवाह एवं अन्य लोग विषयांकित अपराधी को नामजद करते हुए प्राथमिकी अंकित कराने या उसके खिलाफ गवाही देने अथवा उसका नाम पुलिस को बताने के लिए तैयार नही होते है। दिलावार खान द्वारा बिक्री हुआ जमीन को धोखधड़ी करके बिक्री करते है। इसकी अपराधिक गतिविधियो से आम जनता में भय, दहशत एवं आंतक व्याप्त हो जाता है जिससे लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। इनके अपराधिक गतिविधियों में आम जनता में

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

भय, दहशत एवं आतंक व्याप्त हो जाता है जिससे लोग शांति एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे जिला बद्र/निर्वासन संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वह झूठा, गलत, मनगढन्त है और विपक्षी ने कभी भी कोई अपराध नहीं किया है और ना ही करने का प्रयास किया है। माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। विपक्षी के खिलाफ वर्तमान कार्यवाही उन आवश्यक सामग्रियों के बिना शुरू की गई है जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के (ए) (बी) (I) (II) के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिये मौजुद होना आवश्यक है। विपक्षी कानुन का पालन करने वाला नागरिक है तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में रह रहे गरीब, मजबुर परेशान व्यक्तियों की मदद करते है। विपक्षी के खिलाफ दर्ज मामलो मे सदर थाना काण्ड संख्या–272/2017 मे पुलिस के द्वारा अभी तक चार्ज सीट जमा नही किया गया है। यह वाद दिनांक– 03.06.2017 ई0 की है परन्तु इस वाद में अनुसंधानकर्ता के द्वारा अभी तक चार्जसीट जमा नहीं किया गया है। सदर थाना काण्ड संख्या–221/20 में भी विपक्षी जमानत पर है। विपक्षी के पास से किसी भी प्रकार का कोई भी आर्म्स बरामद नहीं हुआ है। बरियातु काण्ड संख्या–312/22 में विपक्षी के नाम सिर्फ धारा 212, भा०द०वि० के अन्तर्गत जोड़ दिया गया है। विपक्षी को इस वाद मे भी जमानत प्राप्त है। अनुसूचित जनजाति थाना काण्ड संख्या– 21/18 में सुलह के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा निष्पादन कर दिया गया है। अनुसूचित जाति–जनजाति 84/20 मे भी सुलह के आधार पर विपक्षी को जमानत प्राप्त है। इस वाद मे भी अनुसंधानकर्ता द्वारा चार्जसीट समर्पित नही किया गया है। विपक्षी के विरूद्ध उपरोक्त सभी दर्ज सन्हा बिल्कुल झूठा व बेबुनियाद है क्योंकि विपक्षी द्वारा अपने क्षेत्र में कभी भी किसी व्यक्ति को हानि नही पहुँचाया है जबकि विपक्षी के द्वारा क्षेत्र के लोगों को हमेशा मदद ही करने का कार्य किया गया है परन्तु पुलिस के

अनुसूची 14 – फ़ारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	
	द्वारा शक के आधार पर उपरोक्त सभी सनहा दर्ज किया गया है। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के जिला से निष्कासन हेतु कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया गया है, परन्तु इस तथ्य को नज़रअंदाज नही किया जा सकता है कि विपक्षी एक एक दबंग भू–माफिया एवं असमाजिक तत्व है। इनका पेशेवर अपराधकर्मी से सांठ–गांठ है तथा ये आदिवासियों की भूमि एवं मूल जमीन मालिको की भूमि को कब्जा करने एवं धमकाने में अपराधियों को इस्तेमाल करते है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी के द्वारा अपने बचाव मे दिये गये बयान तथ्यात्मक नहीं है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित दिलावर अंसारी उर्फ दिलावर खान पिता अजहर अली निवासी बड़गाँई, थाना सदर, जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक प्रतीत होता है । अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी दिलावर अंसारी उर्फ दिलावर खान पिता अजहर अली निवासी बड़गाँई, थाना सदर, जिला राँची को जिला निष्कासन के स्थान पर दिनांक 27.01.2024 से दिनांक 26.04.2024 तक की अवधि के लिए सदर थाना, राँची में प्रत्येक एक रविवार (सप्ताह मे एक दिन) मे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, सदर थाना के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 26.01.2024 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 27.01.2024 से दिनांक 26.04.2024 तक प्रत्येक एक रविवार सदर थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

5

की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी प्रत्येक रविवार अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति दिलावर अंसारी उर्फ दिलावर खान पिता अजहर अली निवासी बड़गाँई, थाना सदर, जिला राँची तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.02.05 22:29:26 -08:00
Location: 192.168.1.4